उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या- **590**/2025/1861/41-1-2025/CN-1796736-2024
लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2025

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1**,** उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-587/2025/1843/41-1-2025/004-CN-1796736-2024, दिनांक 27जून, 2025 के प्रस्तर-2 पर तालिका के क्रमांक-45 पर अंकित परियोजना जनपद बरेली के भोजीपुरा में स्थित सेमी खेड़ा दाऊ जी प्राचीन शिव मंदिर के पर्यटन विकास कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि''**रू0 181.50 लाख**'' के स्थान पर ''**रू0 70.94 लाख**''तथा स्तम्भ-7 में **''रू0 100.00 लाख** के स्थान पर रू0 40.00 लाख'' एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 27जून, 2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, बरेली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (राज्य योजना)**,** पर्यटन निदेशालय।
8. उप निदेशक, पर्यटन**,** बरेली/ मुरादाबाद मण्डल**,** बरेली।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।